राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4287 / 2022

रोसम्मा जोर्ज –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी, महिला अस्पताल, सांगानेरी गेट, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022
आदेश की दिनांक : 21.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपकेन्द्र रामजीपुरा (मण्डाभीम), सांभर लेक, जयपुर द्वितीय किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में किया गया है व जिला परिषद् की स्थाई समिति की अनुशंषा के बिना किया गया है, जो नियम 2011 के नियम 8(ii) के विरूद्ध है। अपीलार्थी के पति CA Tongue के गंभीर कैंसर से पीड़ित है, जो अन्तिम चरण में है, जिसकी देखभाल की समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी की ही है, जिनका इलाज भगवान महावीर कैंसर अस्पताल, जयपुर में चल रहा है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी के वर्तमान पद पर किसी का भी पदस्थापन नहीं हुआ है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी

विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पति CA Tongue के गंभीर कैंसर से पीड़ित है, जो अन्तिम चरण में है, जिसकी देखभाल की समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी की ही है, जिनका इलाज भगवान महावीर कैंसर अस्पताल, जयपुर में चल रहा है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य